पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 19, अंक 3/2018

खाद्य लेबलिंग मानदंडों की होगी समीक्षा

''जनता में स्वास्थ्यप्रद व हानिकारक खाद्य वस्तुओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर जानकारी लेबल का होना अत्यन्त आवश्यक है।''

नई दिल्ली में 'कट्स' इंटरनेशनल एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के संयुक्त तत्वावधान में 'स्वस्थ व सुरक्षित भोजन के लिए खाद्य लेबलिंग नियमन' विषय पर आयोजित हितधारक सम्मेलन में एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पवन कुमार अग्रवाल ने अपने संबोधन में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि एफएसएसएआई इस बारे में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग व डिस्प्ले) नियमन 2018 का मसौदा अप्रेल में लेकर आया था। इसमें अधिक वसा, चीनी व नमक वाले डिब्बा बंद खाद्य उत्पादों पर लाल लेबल लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया। अब इसके लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान की पूर्व निदेशक व वैज्ञानिक बी. सशिकिरण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति में डॉ. हेमलता, मौजूदा निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान और डॉ. निखिल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी हैं। यह समिति विभिन्न पक्षों की चिंताओं व जटिल मुद्दों पर गौर कर अपनी सिफारिशें देगी।

इस अंक में...

- भामाशाह स्वास्थ्य योजना में फर्जीवाड़ा 3
- देश में सात लाख यूनिट खून बर्बाद 4
- डीएनए टेस्ट से पकड़ा भ्रष्टाचार 5
- छबड़ा थर्मल में सर्वाधिक बिजली उत्पादन 8
- धीमी ही रही पेयजल परियोजनाओं की चाल .. 9

अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि भारत अकेला ऐसा विकासशील देश है जहां खाद्य उद्योग के प्रतिनिधियों ने 'सभी के लिए सुरक्षित भोजन' के लिए स्वप्रेरणा से यह पहला कदम बढ़ाया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खाद्य उद्यमियों को इस प्रतिबद्धता की पालना में एफएसएसएआई और बेहतर निरीक्षण व्यवस्था लाएगा, जिसकी अधिकारिक जानकारी बाद में दी जाएगी।

सम्मेलन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निदेशक राजीव कुमार ने हानिकारक खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों की जानकारी देते हुए कहा कि इस जोखिम को हम स्वास्थ्यप्रद भोजन एवं जीवन शैली में सुधार लाकर कम कर सकते हैं।

सम्मेलन में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि खाद्य पैकेट पर स्पष्ट व प्रभावपूर्ण लेबल का होना, लोगों में जागरूकता बढ़ाने व भोजन शैली में बदलाव लाने के लिए कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य 'फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबल' की नीति को विश्व भर में सरकारों द्वारा भोजन शैली में सुधार हेतु एक प्रभावी उपचार के तौर पर स्वीकारा गया है और इसे लागू किया गया है। वर्तमान में 23 देशों में लगभग 16 'फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबल' व्यवस्थाएं लागू हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को नॉर्डिक राष्ट्रों के 'की-होल लेबल' व ईरान के 'ग्रीन एप्पल ट्री लेबल' तथा डेनमार्क, सिंगापुर जैसे कुछ अन्य देशों की श्रेष्ठ युक्तियों से सीखने की आवश्यकता है।

सम्मेलन में वन्दना शाह, निदेशक, दक्षिण एशिया कार्यक्रम, सीटीएफके ने विश्व के प्रमुख देशों में खाद्य लेबलिंग के विभिन्न मॉडलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उपस्थित विषय विशेषज्ञों ने भी उपभोक्ताओं के हित में कई सुझाव दिए।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों, सलाहकारों, विशेषज्ञों सहित करीब 65 लोगों की सक्रिय भागीदारी रही।

शहरी निकायों और जन प्रतिनिधियों को अधिक सक्षम बनाना आवश्यक

25 साल बाद भी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम देश में पूरी तरह से लागू नहीं हो सका है। आज भी नगरीय स्वायत्तशासी निकाय ज्यादातर मामलों में राज्य सरकार पर ही निर्भर है। ये मुद्दा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की 25वीं वर्षगांठ पर 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा नीति आयोग की सहभागिता में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में छाया रहा।

सम्मेलन में नीति आयोग के निदेशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि कोई भी सरकार शत-प्रतिशत दक्षता का दावा करने वाले नियम-कानून लागू नहीं कर सकती। नियम-कानूनों को मजबूत करने का दायित्व हमेशा नागरिकों पर होता है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए न केवल राज्य सरकारों, शहरी निकायों पर निर्भर रहा जा सकता है बल्कि इनमें नागरिकों की जागरूकता और उनकी विकास में भागीदारी का होना ज्यादा जरूरी है। शहरी निकायों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का मूल कारण टैक्सों की सही तरह वसूली नहीं होना है।

सम्मेलन में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि 74वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि ग्रामीण स्वशासन से जुड़े पंचायतीराज पर लागू है, से पिछड़ता नजर आता है। नगरीय निकायों को दायित्वों की तुलना में संसाधनों, अधिकारों व स्वतंत्रता की कमी का सामना करना पड़ता है। इस कमी को दूर कर निकायों व जन प्रतिनिधियों को सक्षम बनाना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (नई दिल्ली) की सह प्राचार्य डॉ. देबोलिना कुण्डू सहित अनेक प्रमुख वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे।

ग्राहकों को बताई बैंक योजनाएं और शिकायत निवारण प्रणाली

''ग्रामीण किसान अपने क्षेत्र के बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड और मुद्रा योजना आदि के माध्यम से ऋण लेकर कृषि से सम्बन्धित अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं।'' 'कट्स' द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से मॉडल स्कूल, मालीखेड़ा, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ के सभागार में आयोजित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यशाला में बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक फतेह सिंह सुराणा ने मुख्य वक्ता के रूप में यह जानकारी देते हुए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं बैंकों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया।

कार्यशाला में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने बताया कि बैंक खाता खुलवाते समय उत्तराधिकारी (नोमिनी) का हवाला नहीं देने से खाताधारक की मृत्यु के बाद या अन्य कारणों से ग्राहकों का पैसा बैंक में पड़ा रह जाता है। जिसको डेफ फण्ड के नाम से जाना जाता है। रिजर्व बैंक के पास इस फण्ड में 6835 करोड़ रुपए पड़े हैं। इस फण्ड से ग्राहकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एफएलसी कोर्डिनेटर पुखराज नाहर ने प्रमुख परीक्षक के रूप में बैंकिंग सेवाओं की विषयवार जानकारी दी और शिकायत निवारण प्रणाली से भी अवगत कराया।

कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' मानव विकास केंद्र चितौड़गढ़ के समन्वयक गौहर महमूद ने बताया कि रिजर्व बैंक के सहयोग से चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम के तहत ग्राहकों को बैंकिंग कार्यप्रणाली, शिकायत निवारण प्रणाली और उनके अधिकारों से वाकिफ कराकर जागरूक किया जा रहा है। कार्यशाला में मेवदा कॉलोनी, कपासन और भूपालसागर के 63 सहभागियों की सक्रिय भागीदारी रही।

कृषि से जुड़े परिवारों पर है कर्ज

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कृषि से जुड़े 52.5 फीसदी परिवार आज भी कर्ज के बोझ तले जी रहे हैं। यह ही नहीं गैर कृषि आधारित 42.8 फीसदी परिवारों पर भी कर्ज का भार है। अखिल भारतीय स्तर पर 47.4 फीसदी ग्रामीण परिवारों पर कर्ज है।

हाल ही खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर अपनी वाहवाही कर रही केंद्र सरकार को इन आकंड़ों ने इस मोर्चे पर फिर से एक बार कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिल भारतीय वित्तीय समावेश सर्वेक्षण के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में अब भी लोगों की मासिक आय का महज 19 फीसदी हिस्सा ही खेती से आ रहा है। जबकि औसत आमदनी में दिहाड़ी मजदूरी का हिस्सा 40 फीसदी से ज्यादा है। *(रा.प., 19.08.18)*

कैग ने बताए रोजगार के आंकड़े झूठे

स्किल डवलपमेंट के नाम पर प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का दावा करने वाले राजस्थान स्किल डवलपमेंट सेंटर (आरएसएलडीसी) के रोजगार के आंकड़ों को कैग ने झूठा करार दिया है। राज्य विधानसभा में पेश की गई कैग की सामाजिक क्षेत्र तथा स्थानीय निकाय की मार्च 2017 की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है।

कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरएसएलडीसी के प्लेसमेंट सैल ने 26 हजार 444 युवाओं को प्लेसमेंट मिलने के आंकड़े वेरिफाई किए गए, लेकिन सीएजी की ऑडिट में इनमें से सिर्फ 9904 युवाओं को ही प्लेसमेंट मिलने की पुष्टि हुई। *(दै.भा., 06.09.18)*

सामने आया मनरेगा का सच

राजस्थान सरकार ने मनरेगा के तहत पांच साल में एक व्यक्ति को ही बेरोजगारी भत्ता दिया है, जबकि सौ दिन से अधिक की मजदूरी पाने वालों की संख्या महज 10 फीसदी है।

मनरेगा के इस सच का खुलासा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से हुआ है। कानूनन प्रत्येक परिवार को वर्ष में न्यूनतम सौ दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, मगर वर्ष 2013 से 2017 तक 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का प्रतिशत मात्र 9.91 ही रहा। वर्ष 2015-16 में राजसमंद की भीम पंचायत समिति में मात्र एक मामले में 1564 रुपए का बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया है। हकीकत में पंचायत स्तर पर रोजगार आवेदन पत्र तक उपलब्ध नहीं है। *(रा.प., 08.09.18)*

विवेकाधीन फंड का इस्तेमाल नहीं

प्रदेश में हर कैबिनेट मंत्री और संसदीय सचिव को क्षेत्र के दौरे, जन सुनवाई व अन्य अवसरों पर जरूरतमंदों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए हर साल विवेकाधीन राशि मिलती है। राज्य सरकार की ओर से हर कैबिनेट मंत्री को दो लाख रुपए और हर संसदीय सचिव को एक लाख रुपए विवेकानुदान राहत कोष 1959 के तहत दी जाती है।

हैरानी की बात यह है कि आधे से ज्यादा मंत्रियों ने इस राशि का उपयोग ही नहीं किया। ऐसी ही स्थिति संसदीय सचिवों की है। वर्ष 2017-18 के सरकारी आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 17 कैबिनेट मंत्रियों में से 11 मंत्रियों ने अपने विवेकाधीन फंड से जरूरतमंदों की मदद के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। ऐसे ही 9 में से 6 संसदीय सचिवों ने भी इस मद में किसी की भी मदद नहीं की। *(दै.भा., 08.07.18)*

खाते खोल दिए नहीं मिली सुविधाएं

जनधन योजना के तहत करोड़ों खाते खोलकर मोदी सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही है, पर विश्व बैंक की रिपोर्ट अलग ही हकीकत बयान करती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 48 फीसदी बैंक खाते निष्क्रिय पड़े हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। इतनी बड़ी संख्या में खातों के निष्क्रिय होने की मुख्य वजह बैंकिग इंफास्ट्रक्चर की कमी है।

बीते चार वर्षों में देश में कुल 25 हजार बैंक शाखाएं और 45 हजार एटीएम खोले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बैंकिंग में ग्रामीण पिछड़ते जा रहे हैं। केंद्र ने योजनाओं का फायदा सीधे खाते में पहुंचाने की योजना तो लागू कर दी पर उन्हें सुविधा देने के बजाय परेशानी ही मिल रही है। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्ययन के मुताबिक अभी भी 19 फीसदी भारतीयों की बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। *(रा.प., 18.07.18)*

ग्रामीण मजदूरी पर पड़ी तगड़ी मार

नोटबंदी के बाद देश के ग्रामीण इलाकों में मजदूरी के बढ़ने की दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट इतनी अधिक है कि वित्तीय वर्ष 2013-15 के दौरान जहां पारिश्रमिक बढ़ने की दर 11 फीसदी थी वह नोटबंदी के बाद वित्तीय वर्ष 2016-18 में घटकर महज 0.45 फीसदी रह गई।

इंडिया रेटिंग रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में कृषि समेत रोजगार के 25 क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण में यह स्थिति सामने आई है। *(रा.प., 25.08.18)*

भामाशाह स्वास्थ्य योजना में फर्जीवाड़ा

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में आ रही शिकायतों की दैनिक भास्कर टीम द्वारा तस्दीक करने पर सामने आया कि फर्जी मरीज व फर्जी बीमारी बताकर निजी अस्पताल हजारों रुपए के फर्जी बिल लगाकर पैसा उठा रहे हैं। कहीं महिलाओं के पेट में स्टोन बताकर तो कहीं प्रोस्टेट ग्रंथि में खराबी बताकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।

मानसरोवर स्थित आरएजी हॉस्पिटल, सेंटर फॉर लाइफ ने कागजों में संतोष देवी के पेट में 24 एम.एम. का स्टोन बताया हुआ था। जब अस्पताल पहुंची दैनिक भास्कर की टीम ने एक्स-रे करवाया तो उसमें स्टोन नहीं पाया गया। जांच में सामने आया कि महिला को ऐसा कोई लक्षण भी नहीं था। यह कोई एक मामला नहीं है भास्कर टीम ने कोटपूतली में भी बिना बीमारी व बिना इलाज पैसा उठाने का खुलासा किया है। *(दै.भा., 10.07.18)*

देश में सात लाख यूनिट खून बर्बाद

रक्तदान महादान होता है। देश में साल भर में ब्लड डोनेशन के अन्तर्गत लाखों लोग रक्तदान करते हैं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में मरीजों की रक्त के अभाव में मौत हो जाती है। कहा जाता है कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत फाजिल्का निवासी आरटीआई मूवमेंट के संरक्षक राजेश ठकराल द्वारा मांगी गई जानकारी में पता चला है कि देशभर में वर्ष 2017 के दौरान 7 लाख 22 हजार 406 यूनिट खून और इसके उत्पाद बर्बाद हो गए।

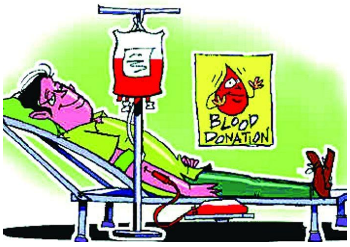

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन किया था। इस जानकारी में देश के ब्लड बैंकिंग सिस्टम की गंभीर खामियों को उजागर किया गया है और साफ दिखता है कि ब्लड बैंकों और अस्पतालों के बीच कोई समन्वय नहीं है, जिससे ब्लड रखे-रखे ही एक्सपायर हो जाता है। *(दै.भा., 05.08.18)*

सवालों के घेरे में रोजगार विभाग

प्रदेश के जिस रोजगार विभाग पर सरकार हर साल करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, उसका काम बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के बजाय केवल रजिस्ट्रेशन तक सीमित हो गया है। इसकी गवाही विभाग के आंकड़े खुद दे रहे हैं।

रोजगार विभाग में बीते तीन सालों में आठ लाख 57 हजार 316 बेरोजगार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन उनमें से केवल 217 युवाओं को ही रोजगार मिल पाया है। अगर पिछले तीन सालों की सालवार बात करे तो विभाग का औसतन बजट 97 करोड़ रुपए का रहा है। जबकि हर साल करीब तीन लाख रजिस्ट्रेशन के बावजूद सिर्फ 74 युवाओं को ही नौकरी मिल पा रही है। बड़ा सवाल यह है कि जब रोजगार दिलाने में विभाग की कोई भूमिका ही नहीं है तो केवल रजिस्ट्रेशन के लिए इतना भारी-भरकम खर्च क्यों किया जा रहा है? *(दै.भा., 10.09.18)*

'मुफ्त' में लौटा दी करोड़ों की बजरी

इसे खनन विभाग की लापवाही कहें या माफिया से मिलीभगत, कारण कुछ भी रहा हो लेकिन इससे प्रदेश के सरकारी खजाने में अरबों रुपए की चपत लग चुकी है। जयपुर कमिश्नरेट के मात्र 8 थानों में बाजार भाव के मुताबिक करीब 1.97 करोड़ रुपए की बजरी अवैध परिवहन करते पकड़ी, लेकिन खनन विभाग ने अवैध परिवहन का जुर्माना लगा उस बजरी को मफियाओं को निःशुल्क लौटा दिया। विभाग द्वारा इस बजरी को जब्त कर कोर्ट की स्वीकृति से नीलाम या सरकारी प्रोजेक्ट में उपयोग में लिया जा सकता था। लेकिन पूरे प्रदेश में खनन विभाग व थानों द्वारा जब्त अरबों रुपए की बजरी इसी तरह खुर्द-बुर्द कर दी गई। इससे राज्य के खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। *(रा.प., 24.08.18)*

मजदूरों के हकों पर पड़ रहा डाका

प्रदेश में कुछ लोग वर्षों से निर्माण श्रमिकों के हकों पर डाका डाल रहे हैं। इसमें अधिकारियों से लेकर दलालों की पूरी फौज लगी हुई है। बिना कुछ लिए-दिए इन श्रमिकों को योजनाओं का लाभ तक नहीं दिया जा रहा। हजारों ऐसे लोगों के नाम निर्माण श्रमिकों के लाभार्थियों के रूप में है जिनका श्रम कार्य से दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं है।

निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के बाद उदयपुर के सलम्बूर में आयोजित पहली जनसुनवाई में कई धांधलियां सामने आई है। जनसुनवाई में श्रमिकों के मुख से फर्जीवाड़े की बानगियां सुन कलक्टर व अन्य अधिकारी भी हैरान रह गए। इससे श्रम विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। *(रा.प., 24.09.18)*

उज्जवला योजना के आधे ही लक्ष्य पूरे

उज्जवला योजना के तहत प्रदेश में 53.92 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने के लक्ष्य के मुकाबले 30 लाख परिवारों को ही कनेक्शन जारी किए जा सके हैं। पेट्रोलियम कंपनियों की कनेक्शन जारी करने की गति राज्य में पहले ही धीमी चल रही है। वहीं केंद्र ने दायरा और बढ़ा दिया है।

अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन जारी करने की बात कर रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर चिन्हित 60.79 लाख गरीब परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं था। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 53.92 लाख को कनेक्शन के लिए चिन्हित किया गया था। करीब 30 लाख परिवारों को ही अभी तक गैस कनेक्शन जारी हुए हैं। *(रा.प., 09.07.18)*

'सपनों' पर पानी फेर रहे बैंक

केन्द्र व राज्य सरकारें भले ही युवाओं को रोजगार देने के लिए दावे करें, मगर हकीकत इससे उलट ही है। प्रदेश में हजारों युवा एंटरप्रिन्योर बन अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, मगर बैंक इनके सपनों पर पानी फेर रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री रोजगार संयुक्त कार्यक्रम का मकसद पूरा नहीं हो रहा।

रोजगार सृजन कार्यक्रम की सभी कार्यवाही पूरी करने के बाद भी युवाओं को बैंक से ऋण नहीं मिल पाता। जबकि उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजनाओं पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। बैंकों से 10 फीसदी युवाओं को भी ऋण नहीं मिल पाता। *(रा.प., 08.09.18)*

गोदामों में ही एक्सपायर हो गई दवाएं

अस्पतालों में दी जाने वाली निःशुल्क दवाओं के वितरण के मामले में चिकित्सा विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। एक तरफ तो अस्पतालों में मरीजों को दवा नहीं मिलने की शिकायतें बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर विभाग की लापवाही की हद तो देखिए, बीते चार साल में गोदामों में 900 तरह की तीन करोड़ रुपए की दवाएं एक्सपायर हो गई।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत आई सबसे ज्यादा दवाइयां जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा व भरतपुर में खराब हुई हैं। दवाएं जिलों में समय पर वितरण नहीं होने से गोदामों में पड़े-पड़े ही एक्सपायर हो गई। करोड़ों रुपए की दवाओं के एक्सपायर होने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? *(दै.भा., 05.09.18)*

अब रिश्वत देने वाला भी दोषी

अब रिश्वत लेने वाले के साथ ही देने वाला भी अपराधी माना जाएगा और उसे भी सजा मिलेगी। ऐसे प्रावधान वाला भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल 2018 संसद में पास हो गया है। इसमें रिश्वत देने वाले को सात साल तक की जेल की सजा, जुर्माना या दोनों सजा देने का प्रावधान किया गया है।

रिश्वत लेने वाले के लिए तीन साल से सात साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। लोकसभा में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया है जबकि राज्यसभा ने यह बिल पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक में लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है।

(दै.भा., 25.07.18)

बैंक लोन फ्रॉड पकड़ें, होगी कार्रवाई

सरकार ने बैंकों से 50 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वाले डूबंत कर्ज (एनपीए) वाले खातों में धोखाधड़ी का पता लगाने को कहा है। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकारी बैंकों के प्रमुखों को चेतावनी देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन खातों में यदि बाद में धोखाधड़ी का पता चलता है तो उनके खिलाफ आपराधिक साजिश की कार्रवाई की जा सकती है।

मामलों से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक बैंकों के प्रमुखों से कहा गया है कि अगर बैंक अधिकारी समय पर धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट देने में विफल रहते हैं और जांच ऐजेंसियां फर्जीवाड़े का खुलासा करती हैं, तो उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। *(रा.प., 23.08.18)*

गरीबों तक पहुंच रहा है पूरा 100 पैसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि आज दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो लोगों तक पूरे 100 पैसे पहुंचते हैं। इसी से हमारी योजनाएं कामयाब हो रही हैं। मैं टीवी और अखबार वालों के सामने हिम्मत से पूछ सकता हूं कि आपको (लाभार्थियों को) कहीं रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हमें संतोष तब मिलता है जब कोई कहता है कि हमें अपना हक मिल गया है।

प्रधानमंत्री ने यह बात गुजरात में आवास योजना के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट बांटते हुए कही। उन्होंने कहा आप सभी ने देखा होगा कि सरकारी योजना में इतने अच्छे घर कैसे बन सकते हैं। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो 15 पैसे तक लोगों तक पहुंचते है। *(रा.प.एवं दै.भा., 24.08.18)*

चुनाव में कालेधन को नहीं रोक सकते

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ओ.पी.रावत ने माना है कि मौजूदा कानून चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल को रोकने में काफी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त धनबल का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए बड़ी परेशानी है और फिलहाल इस पर पूर्ण नियंत्रण लगाने वाले तरीके भी देश में मौजूद नहीं हैं।

रावत ने कहा कि चुनाव में धन का दुरुपयोग भारत और भारतीय चुनावों के लिए मुख्य चिंता का विषय है। *(रा.प., 16.09.18)*

बढ़ी जागरूकता लेकिन एसीबी सुस्त

प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई से आमजन में विश्वास बढ़ा है। यही कारण है कि वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में 99 शिकायतें ज्यादा आई हैं।

हालांकि एसीबी प्रशासन प्राप्त शिकायतों के निस्तारण करने में पीछे रहा है। वर्ष 2017 की तुलना में एसीबी अधिकारी वर्ष 2018 में 73 शिकायतों का निस्तारण कम कर सके हैं। एसीबी द्वारा शिकायतों के निस्तारण में बरती गई सुस्ती से अब पेडेंसी बढ़ कर एक हजार के पार पहुंच गई है। वर्ष 2017 की तुलना में 150 मामले अधिक पेडिंग रह गए हैं। अब यदि कुल पेडेंसी की बात की जाए तो यह संख्या 1038 बताई जा रही है।

(दै.न., 30.07.18)

बच्चों के पोषाहार में दोहरा भ्रष्टाचार

महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण में भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसीबी के अजमेर एसपी कैलाश विश्नोई ने बताया कि नागौर जिले में अधिकारी और ठेकेदार मिलकर आंगनबाड़ी के बच्चों को मिलने वाले पोषाहार में हर महीने विभाग को 40 से 50 लाख रुपए की चपत लगा रहे हैं।

अधिकारी सप्लाई वितरण में करीब 40 प्रतिशत कमीशन और फिर ठेकेदार द्वारा पेश पोषाहार के झूंठे बिलों को पास करने की एवज में रिश्वत लेकर दोहरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विभाग में यह खेल पिछले 14-15 साल से चल रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में उपनिदेशक उषा रानी, ठेकेदार हरिसिंह चारण, योगेश दायमा व किशोर बेन्दा को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार के लपेटे में और भी कई अधिकारी आएंगे।

(रा.प., 02.08.18)

डीएनए टेस्ट से पकड़ा भ्रष्टाचार

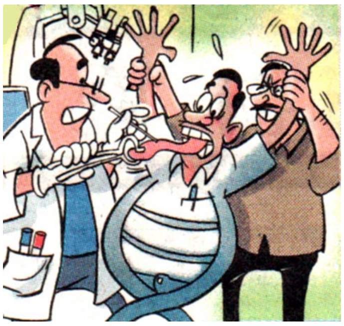

भ्रष्टाचार की जांच में डीएनए टेस्ट! आपको सुनने में शायद यह अजीब लगे, मगर देश में ऐसा पहली बार हुआ है। वाकिया अहमदाबाद का है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पशु डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान और कृषि वैज्ञानिक चंद्रकांत जोशी के खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं।

दरअसल, इन सरकारी अधिकारियों ने उस वक्त 2000 रुपए के नोट निगल लिए, जब ब्यूरो अधिकारियों ने उनके यहां छापे मारे और उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। मामले को पुख्ता बनाने के लिए ब्यूरो ने दोनों आरोपियों के लार के नमूने ले लिए और इसकी डीएनए जांच भी करा डाली। गुजरात फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आरोपियों के लार के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

(रा.प., 01.07.18)

भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव: लेनी होगी सरकार की इजाजत

पुलिस अनुसंधान व जांच पर रोक क्यों?

अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश जी.आर. मूलचंदानी की खंडपीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने केंद्रीय केबिनेट सचिव और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी कर पूछा है कि संशोधित भ्रष्टाचार निरोधक कानून में पुलिस जांच और अनुसंधान पर रोक क्यों लगाई है?

केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम 2018 लागू कर धारा 17ए सहित विभिन्न धाराओं में संशोधन कर दिया है। इस बाबत हाईकोर्ट में दायर अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका पर प्रार्थीपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी.एस. बापना ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने धारा 17ए सहित विभिन्न धाराओं में संशोधन कर दिया है। धारा 17ए में प्रावधान कर दिया है कि पदीय कर्तव्य के मामलों में सरकार से पूर्व अनुमति बिना पुलिस किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच या अनुसंधान नहीं कर सकेगी। केवल मौके पर गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनिवार्य की बाध्यता नहीं होगी।

धारा 17ए के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में बिना अभियोजन स्वीकृति कोर्ट भी लोक सेवक के खिलाफ प्रसंज्ञान नहीं ले सकता है। इससे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण मिलता है। कानून में जांच और अनुसंधान से पहले अभियोजन स्वीकृति की शर्त लगा दी गई है, जो त्वरित जांच और अनुसंधान के लिए बाधा है।

(रा.प., 14.08.18)

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
जालोर	हेमाराम विश्नोई	सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	1,00,000	*रा.प., 03.07.18*
डूंगरपुर	डॉ. राजेश शर्मा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,डूंगरपुर	20,000	*रा.प., 10.07.18*
उदयपुर	चन्द्रदास वैष्णव	कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	74,000	*दै.भा., एवं दै.न., 13.07.18*
झुंझुनूं	रविश कुमार	कनिष्ठ सहायक, बुहाना पंचायत समिति	35,000	*दै.भा., 18.07.18*
जयपुर	संगीता जैन	सहायक राजस्व अधिकारी, नगर निगम मानसरोवर	20,000	*रा.प. एवं दै.न., 20.07.18*
जयपुर	भरत लाल शर्मा	सरपंच, भांगडोली ग्राम पंचायत, थानागाजी	1,00,000	*रा.प. एवं दै.न., 27.07.18*
कोटा	नरेन्द्र सिंह	कांस्टेबल, बोरखेड़ा पुलिस थाना, कोटा	10,000	*दै.न., 03.08.18*
जयपुर	बबीता चौधरी अमरदीप	सब इंस्पेक्टर, शिप्रापथ थाना, जयपुर बबीता चौधरी का पति	5,00,000	*दै.न., 08.08.18*
अजमेर	बबीता चौहान नरेन्द्र चौहान शिव प्रसाद	सभापति, नगर परिषद, ब्यावर, अजमेर बबीता चौहान का पति बबीता चौहान का जीजा	2,25,000	दै.भा. एवं दै.न., 09.08.18
अजमेर	राजेश मीणा	जेईएन, नगर निगम, अजमेर	25,000	*दै.न., 10.08.18*
जयपुर	संतोष चौधरी वीरकृष्ण मीणा	रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत अजयराजपुरा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अजयराजपुरा	20,000	*रा.प. एवं दै.न., 11.08.18*
जयपुर	डी.पी.सैनी गुलाब चन्द	एक्सईएन, पीडब्लूडी कार्यालय मुख्यालय, जयपुर कार्यालय सहायक, पीडब्लूडी मुख्यालय, जयपुर	30,000	*रा.प. एवं दै.भा., 21.08.18*
जोधपुर	डॉ. प्रदीप विश्नोई	प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोहावट	12,500	*दै.न., 05.09.18*
कोटा	प्रीतम कुमार शर्मा भगवान सहाय मीणा	सहायक वाणिज्यकर अधिकारी, वाणिज्यकर कार्यालय सहायक वाणिज्यकर अधिकारी, वाणिज्यकर कार्यालय	20,000	*रा.प. एवं दै.भा., 06.09.18*
चित्तौड़गढ़	भैंरू सिंह संवरी देवी	पूर्व सरपंच, बागुण्डा, भदेसर पंचायत समिति वर्तमान सरपंच बागुण्डा, भदेसर पंचायत समिति	1,00,000	*दै.न., 15.09.18*

लोकसभा ने किया सबसे ज्यादा काम

इस साल लोकसभा ने 18 साल बाद मानसून सत्र में सबसे ज्यादा काम किया है। यह सत्र 18 जुलाई से शुरू हुआ था और 24 दिन चला। कामकाज के लिहाज से साल 2000 के बाद सबसे ज्यादा प्रोडेक्टिविटी वाला यह सत्र रहा है। इस दौरान संसद में 21 बिल पेश हुए। इनमें से 12 दोनों सदनों में पास हो गए।

इस सत्र में लोकसभा प्रोडेक्टिविटी 110 प्रतिशत और राज्यसभा की 66 प्रतिशत रही। लोकसभा में 50 प्रतिशत और राज्यसभा में 48 प्रतिशत समय विधायी संबंधी कामकाज में खत्म हुआ। 16वीं लोकसभा में दोनों सदनों का यह कामकाज 2004 के बाद दूसरे नंबर पर है। *(दै.भा., 11.08.18)*

खेती में यूरिया का उपयोग होगा कम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में निर्देश दिए थे कि कृषि एवं संबद्ध विभागों की ओर से कृषि में यूरिया के उपयोग को कम करने के लिए सचेत प्रयास किए जाएं। प्रधानमंत्री की इस मंशा के मुताबिक केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर यूरिया के उपयोग को कम करने के निर्देश जारी किए हैं।

दरअसल, खेती में उपयोग में लिए जा रहे यूरिया के खतरनाक परिणामों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। निर्देशों में जैविक खेती तथा वैकल्पिक जैव उर्वरकों के उपयोग को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है। *(दै.न., 26.07.18)*

दागियों का अखबार में प्रचार करें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ रोकने के लिए संसद को ही कानून बनाना चाहिए। अपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के संसद व विधानसभाओं में पहुंचने के कारण लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है। इसे रोकने के लिए संसद को जरूर दखल देना चाहिए।

हालांकि शीर्ष अदालत ने उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अदालत में लंबित अपराधिक मामलों का शपथ पत्र में मोटे अक्षरों में उल्लेख करें। स्थानीय मीडिया (प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक) में इसका कम से कम तीन बार प्रचार किया जाए। राजनीतिक दल अपनी वेबसाइटों पर भी उम्मीदवारों के अपराधिक मामलों का उल्लेख करें। उल्लेखनीय है चुनाव सुधार का यह मामला 2013 में विधि आयोग के हवाले किया गया था। आयोग ने अपने सुझाव भी सौंप दिए थे, लेकिन सरकार उस पर कुंडली मारे बैठी है। *(रा.प., 26.09.18)*

खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि वर्ष 2018-19 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 52 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है।

राजस्थान में होने वाली प्रमुख फसलों मक्का, ज्वार-बाजरा पर 730 रुपए क्विंटल तक समर्थन मूल्य बढ़ाया है। उन्होंने इसे किसानों के हित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे सरकार पर 15 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों से वादा किया था कि वह उनकी फसल की लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाएगी। *(रा.प. एवं दै.भा., 05.07.18)*

सुप्रीम कोर्ट का 'आधार' पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से आधार को संवैधानिक मानते हुए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे आवश्यक माना है। शीर्ष कोर्ट ने आधार को जायज, मगर इसे हर जगह थोपने को वाजिब नहीं माना।

आधार को पैन कार्ड से जोड़ने, आयकर रिटर्न दाखिल करने, सरकार की समाज कल्याण योजनाओं का लाभ व रियायत लेने के लिए जरूरी माना गया है। जबकि बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम लेने, स्कूल में नामांकन के लिए आधार जरूरी नहीं है। साथ ही बच्चों के लिए लाभकारी योजनाओं के लाभ लेने व सीबीएसई, यूजीसी व नीट परीक्षाओं के लिए भी आधार जरूरी नहीं है। *(रा.प., 27.09.18)*

महज 25 फीसदी भूमि पर जैविक खेती

प्रदेश में जैविक खेती की पर्याप्त संभावनाएं हैं लेकिन किसानों को सुविधाएं नहीं मिलने से सिर्फ 25 फीसदी जमीन पर ही जैविक खेती हो रही है। राज्य में अभी केवल 56106.74 हैक्टेयर भूमि पर जैविक खेती हो रही है। जबकि करीब 211119.92 हैक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पर जैविक खेती हो सकती है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की रिपोर्ट में यह स्थिति उजागर हुई है। खेती नहीं होने के कारणों की पड़ताल करने पर सामने आया कि खुद सरकार ही इसे लेकर गंभीर नहीं है। किसानों को प्रोत्साहन देने और जागरूकता के लिए ठोस कदम नहीं उठाने के कारण जैविक खेती अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है। *(रा.प., 02.07.18)*

कमाई के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कर्ज

लोगों की कमाई जिस तेजी से बढ़ रही है, उन पर कर्ज बढ़ने की रफ्तार उससे भी ज्यादा है। यह स्थिति भारत ही नहीं दुनिया के सभी प्रमुख देशों में है। वर्ष 2010 से भारत में अब तक प्रति व्यक्ति कर्ज में 163 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यहां कर्ज से आशय सरकार पर कुल कर्ज से है। सरकार के कुल कर्ज को आबादी से भाग देकर प्रति व्यक्ति कर्ज निकाला गया है।

भारत में 2010 में प्रति व्यक्ति कर्ज करीब 20,000 रुपए था जो मार्च 2018 में बढ़कर 52,500 रुपए पहुंच गया। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय 46,492 रुपए से बढ़कर 1,11,782 रुपए हुई है। बीते पांच सालों में भारत में प्रति व्यक्ति कर्ज में 48 फीसदी का इजाफा हुआ है। गौरतलब यह है कि घाटे वाले बजट के कारण सरकार पर कर्ज की रकम बढ़ती जाती है। इससे प्रति व्यक्ति कर्ज की राशि भी बढ़ती है। *(दै.भा., 19.09.18)*

उपभोक्ताओं को लगा तगड़ा करंट

जयपुर डिस्कॉम ने सिटी सर्किल(जेसीसी) में सितंबर के पहले सप्ताह में नया बिलिंग सिस्टम (साफ्टवेयर) लागू किया है। नए सिस्टम के बाद आए कई बिलों में रीडिंग बढ़ने से बिलिंग राशि डेढ़ से दोगुना तक बढ़ गई। इससे हर सब डिवीजन में रोजाना सौ से भी ज्यादा उपभोक्ता बिल में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं।

डिस्कॉम की नई बिलिंग एजेंसी ने राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए 80 हजार से भी अधिक उपभोक्ताओं को मनमर्जी से अधिक रीडिंग व ज्यादा समय का बिल भेज दिया। इससे आम उपभोक्ताओं को डेढ़ से दोगुना तक ज्यादा राशि के बिल जमा करवाने पड़ रहे हैं। ज्यादा बिल से हर 10वां उपभोक्ता परेशान है। *(दै.भा., 24.09.18, 25.09.18)*

बीपीएल को दिए निःशुल्क कनेक्शन

केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में देश के अत्यधिक 50.4 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन सुलभ किया है। यह सुविधा सरकार की अनेक योजनाओं के तहत उपलब्ध कराई गई है। विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह ने राज्यसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्यप्रदेश जैसे राज्य इससे सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं।

उन्होंने बताया कि दस वर्ष की अवधि में किसी एक वर्ष के दौरान निःशुल्क उपलब्ध किए गए विद्युत कनेक्शनों में यह संख्या सर्वाधिक है। देश में अब तक कुल 3.1 करोड़ बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। *(न.दु., 09.08.18)*

घर बैठे मिल सकेगा बिजली कनेक्शन

नए बिजली कनेक्शन के लिए लोगों को अब विद्युत निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिस्कॉम के बिजली मित्र ऐप पर पंजीकरण कराने पर घर बैठे घरेलू बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। आर.जी. गुप्ता अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐप पर रजिस्ट्रेशन होते ही अभियंता संबंधित उपभोक्ता से सम्पर्क करेगा। इसके बाद कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

जयपुर सिटी सर्कल में इस सेवा से हजारों लोग जुड़ चुके हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी है। डिस्कॉम जयपुर शहर सहित सभी 12 जिलों के सर्कल में इसका संचालन कर रहा है। *(रा.प., 04.09.18)*

केंद्र से मिली सोलर पार्कों को मंजूरी

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की देशभर में जारी की गई अप्रूव्ड सोलर पार्कों की सूची में प्रदेश के जोधपुर जिले में चार और जैसलमेर जिले में दो सोलर पार्कों को स्थान मिला है।

सोलर पार्कों में जोधपुर के भडाला में भडाला दो, भडाला तीन और भडाला चार शामिल हैं, जिनकी क्षमता 680 मेगावाट, 1000 मेगावाट और 500 मेगावाट है। इसके अलावा 750 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट फलौदी-पोकरण सोलर पार्क भी लिस्ट में शामिल है। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ फेज 18 सोलर पार्क जिसकी क्षमता 421 मेगावाट और नोख सोलर पार्क पोकरण जिसकी क्षमता 980 मेगावाट है, शामिल हैं। *(दै.न., 16.07.18)*

कृषि कनेक्शन नीति में होगा संशोधन

दो लाख कनेक्शन का लक्ष्य पूरा करने के लिए कृषि कनेक्शन नीति-2017 में संशोधन होगा। इसमें कृषि कनेक्शन जारी होने से दो साल तक नाम परिवर्तन नहीं करने की बंदिश हटा दी जाएगी।

साथ ही विद्युत लाइन में निर्धारित वोल्टेज रेगूलेशन होने के बावजूद कनेक्शन जारी करने की अनुमति देने की तैयारी है। अभी तक ऐसे मामलों में कनेक्शन जारी नहीं करने का प्रावधान है। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम से इस बारे में जानकारी मांगी गई है।

यह जानकारी आर.जी.गुप्ता, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, डिस्कॉम ने देते हुए कहा कि नए कनेक्शन देने में आ रही कठिनाई को दूर किया जाएगा। *(रा.प., 24.08.18)*

बिजली बिल में राहत की उम्मीद

बिजली कंपनियां बनने के बाद पहली बार जयपुर डिस्कॉम को मुनाफा हुआ है। इससे जयपुर सहित 13 जिलों में बिजली की दर कम होने की संभावना बनी है। डिस्कॉम को साल के शुरुआती 6 महीनों में करीब 76 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। पिछले एवं मौजूदा वर्ष के शुरुआती छह माह की स्थिति की तुलना में यह सामने आया है।

डिस्कॉम द्वारा सालभर में करीब 169 करोड़ रुपए का मुनाफा राशि का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। आर.जी.गुप्ता, अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम ने कहा है कि विद्युत दरों में कितनी कमी हो सकती है यह विद्युत विनियामक आयोग तय करेगा। कंपनियां व सरकार पिछली घाटापूर्ति का तर्क देकर कटौती से आनाकानी कर सकती हैं। उपभोक्ता भी दरों में कटौति के लिए विनियामक आयोग में अपील दायर कर सकता है। *(रा.प., 25.09.18)*

छबड़ा थर्मल में सर्वाधिक बिजली उत्पादन

छबड़ा सुपर थर्मल क्रिटिकल पॉवर प्लांट की 660 मेगावाट की छठी इकाई के सिंक्रोनाइज होने के बाद छबड़ा थर्मल राज्य का सबसे बड़ा सर्वाधिक विद्युत उत्पादन वाला थर्मल बन गया है।

राज्य विद्युत उत्पादन निगम जयपुर के निदेशक (तकनीकी) एस.एस.मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट की एक हजार मेगावाट की 250-250 मेगावाट की 4 इकाइयों में विद्युत उत्पादन जारी है। इसके साथ छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट की 5वीं इकाई को पिछले साल सिंक्रोनाइज कर दिया गया था। वहीं थर्मल की 660 मेगावाट की छठी इकाई को ऑयल पर सिंक्रोनाइज कर दिया। इसे दो माह बाद कोल पर सिंक्रोनाइज किया जाएगा। दोनों थर्मलों की विद्युत उत्पादन क्षमता 2320 मेगावाट होने के बाद इस वर्ष यह राज्य का सबसे बड़ा व सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला थर्मल बन गया है। *(रा.प., 30.07.18)*

घरों में पेयजल सुविधा नहीं

भारत सरकार की शीर्ष स्तर पर योजना बनाने और रणनीति तैयार करने हेतु बनी संस्था नीति आयोग ने पहली बार जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन का आकलन करने और बेहतर बनाने के लिए समग्र जल प्रबंधन सूचनांक पर दस्तावेज प्रकाशित किया है। इसमें उल्लेख किया गया कि देश की 600 मिलियन जनसंख्या पानी के तनाव को झेल रही है। देश के तीन चौथाई घरों में पेयजल सुविधा नहीं है।

दस्तावेज में कहा गया है कि 70 प्रतिशत पानी दूषित है, पानी के गुणवत्ता सूचनांक में 122 देशों में भारत 120वें स्थान पर है। पानी राज्य का विषय है और इसके उपयोग एवं प्रबंधन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। देश में पानी की सीमित उपलब्धता और मांग को देखते हुए जल संसाधनों का स्थाई प्रबंधन जरूरी है। *(दै.भा., 22.07.18)*

जयपुर में गहराया पेयजल संकट

बीसलपुर बांध में पानी कम आने से राजधानी जयपुर में पेयजल संकट इस कदर गहरा गया है कि नए ट्यूबवैल खोदने की नौबत आ गई है। जलदाय विभाग ने 190 नए ट्यूबवैल खोदने के लिए जगह चिह्नित की है। इसके अलावा 273 बंद व खराब ट्यूबवैल को भी चालू किया जाएगा। इन्हें ठीक करने में करीब पांच करोड़ रुपए खर्च होगा। वित्त विभाग ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है।

वर्ष 2009 में बांध से पेयजल सप्लाई शुरू होने के बाद पहली बार यह स्थिति बनी है। बांध की कुल भराव क्षमता 38.7 टीएमसी है। जबकि लाइव स्टोरेज 33.15 टीएमसी है अभी करीब 8.5 टीएमसी पानी ही बचा है, जबकि अकेले जयपुर शहर में वर्षभर में 11.2 टीएमसी पानी चाहिए। बांध में पानी की कम आवक को देखते हुए शहर में सप्लाई हो रहे पानी में अब तक 1.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन की कटौती हो चुकी है। *(रा.प., 18.08.18)*

जमीन में पानी नहीं, खुदेंगे ट्यूबवैल

बीसलपुर बांध में इस बार पानी कम होने के कारण जलदाय विभाग को अब डार्क जोन में 280 नए ट्यूबैल खोदने पड़ेंगे। इसमें 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होगा। जलदाय विभाग के इंजीनियरों व भू-वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर ज्यादातर ट्यूबवैल द्रव्यवती रिवर फ्रंट के किनारे खोदे जाएंगे।

शहर में बीसलपुर बांध में पानी कम होने ने जलदाय विभाग को शहर की पेयजल सप्लाई में कटौती करनी पड़ी है। अब आगामी गर्मियों तक बांध का पानी मेंटेन करने के लिए विभाग ने ट्यूबवेल पर सिस्टम लेने की प्लानिंग की है। भू-जल विभाग की फिजिकल रिपोर्ट के अनुसार शहर के ज्यादातर इलाकों में जमीन में पानी कम मिला है। *(दै.भा., 04.09.18)*

धीमी ही रही पेयजल परियोजनाओं की चाल

प्रदेश में 30 हजार करोड़ की 450 से भी अधिक पेयजल योजनाएं ढिलाई की भेंट चढ़ रही है। राजधानी समेत राज्य का बड़ा हिस्सा पेयजल समस्या से जूझ रहा है, लेकिन पेयजल परियोजनाओं को गति नहीं मिल पा रही। इनमें कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जिनका काम 10 से 18 साल पहले शुरू हुआ लेकिन अब तक 50 फीसदी भी पूरा नहीं हो पाया। यह खामियां कैग की रिपोर्ट से उजागर हुई है।

गौरतलब है कि इसके चलते बीसलपुर बांध में पानी की आवक कम होने के कारण जलदाय विभाग बांध से जुड़े जयपुर समेत अन्य इलाकों में पेयजल आपूर्ति में कटौती कर रहा है। कैग ने वर्षों से चल रही योजनाओं पर ध्यान नहीं देने के लिए सरकारी अफसरों के रवैये पर आपत्ति जताई है। *(रा.प., 15.09.18)*

नहीं पहुंचा पीने का साफ पानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 81 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद आधे से भी ज्यादा गांवों में पीने का साफ पानी नहीं है। हाल ही नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक (कैग) द्वारा जारी रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की 56 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो स्थिति काफी भयावह है। राज्यों की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है और आंकड़ों में भी खेल किया गया है। *(रा.प., 13.08.18)*

प्यास बुझाने को चाहिए 1240 करोड़

प्रदेश की राजधानी के लाखों लोगों की प्यास बुझाने की योजना बजट के अभाव में अटक गई है। योजना के लिए 1240 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लोन की फाइल एजेंसियों के पास भटक रही है। किसी एजेंसी ने अभी तक कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया है।

ऐसे में बीसलपुर फेज-2 के लिए पैसा जुटाना भारी पड़ गया है। राज्य सरकार ने अपने अंतिम बजट में बीसलपुर से जयपुर में दूसरी लाइन डालने की घोषणा की थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रोजेक्ट जयपुर के लिए जरूरी है। जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल ने आश्वासन दिया है कि इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। *(रा.प., 06.07.18)*

जल स्वावलंबन से खुश है नीति आयोग

प्रदेश में चल रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से नीति आयोग खुश है। आयोग ने इसे पानी की कमी से जूझ रहे प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला कदम बताया। साथ ही प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था पर इस अभियान के असर का अध्ययन कराने का निर्देश दिया है।

आयोग ने इसे 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के प्रधानमंत्री के संकल्प से जोड़ने की मंशा भी जाहिर की है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की ओर से कहा गया है कि 2015 से 2017 के बीच प्रदेश जल प्रबंधन सूचकांक के मामले में तीन पायदान ऊपर चढ़ गया है। उन्होंने अभियान को प्रेरणादायी बताते हुए इसे जल संकट से जूझ रहे राज्यों के पर्यावरण और मानवीय आवश्यकताओं के लिए उपयोगी करार दिया है। *(रा.प., 22.09.18)*

तीन तलाक पर पति को हो सकती है तीन साल तक की सजा

मोदी सरकार ने मुस्लिमों में एक साथ तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश को पास कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने भी इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह अध्यादेश जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया है। इसके तहत तलाक-ए-बिद्दत यानी एक साथ तीन तलाक अमान्य और गैर कानूनी हो गया है। मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तलाक भी गैर कानूनी है। ऐसा करने पर पति को तीन साल की जेल तथा जुर्माना हो सकता है। पुराने मामले इस दायरे में नहीं आएंगे।

अध्यादेश के अनुसार अगर महिला खुद या उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार पुलिस में शिकायत करेगा, तभी पुलिस पति को गिरफ्तार कर सकेगी। पीड़िता अपने और नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण के लिए भत्ता भी मांग सकती है। उसे नाबालिग बच्चों को अपने साथ रखने (कस्टडी मांगने) का हक भी है। ऐसे मामलों में समझौता होने की भी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन पत्नी चाहे तभी। मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष सुनने के बाद ही पति को जमानत दे सकता है। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया था। *(दै.भा., 20.09.18)*

महिला समूह बने उन्नति का आधार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में स्वयं सहायता समूह उद्यमशीलता, संकल्प और सामूहिक प्रयासों का एक प्रेरणादायी उदाहरण है। आज हम किसी भी सेक्टर में देखें, तो आपको वहां पर महिलाएं बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेंगी।

समूहों की महिलाओं से ऐप के जरिए रूबरू होते हुए मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है महिलाओं को स्वयं की शक्तियों, अपनी योग्यताओं और हुनर को पहचानने के अवसर उपलब्ध कराने की। आज स्वयं सहायता समूह देशभर में एक तरह से गरीबों खासकर महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने हैं। *(रा.स्टे. 13.07.18)*

महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्वतंत्रता एक महिला को समर्थ बनाती है। आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होती हैं तो इससे सामाजिक विकास को बल मिलता है।

उन्होंने बताया कि पिछले चार साल में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण देकर उद्यमशील और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस अवधि में 20 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं और उनमें 2 करोड़ 25 लाख परिवार जुड़े हैं। *(न.नु., 13.07.18)*

प्रदेश में खुलेंगी 55 पॉक्सो कोर्ट

हाईकोर्ट के दखल पर राज्य सरकार ने बच्चों से दुष्कर्म और उत्पीड़न के मामलों की तुरंत सुनवाई लिए 55 नए पॉक्सो कोर्ट शुरू किए हैं। वसुंधरा राजे ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह कोर्ट प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए गए हैं।

पॉक्सो कोर्ट बनने से प्रदेश में बाल यौन उत्पीड़न के अपराधियों को अब तुरंत सजा दिलवाई जा सकेगी। प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक पॉक्सो कोर्ट होगा। इन न्यायालयों के लिए कुल 660 पद सृजित किए गए हैं। मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य में कुल 56 पॉक्सो कोर्ट होंगे। जिनमें से एक कोर्ट पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

(रा.प., 08.08.18)

दहेज मामलों में होगी तुरंत गिरफ्तारी

दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज होने के तुरंत बाद अब फिर से पीड़िता के पति व ससुराल वालों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में आदेश जारी कर दहेज के मामलों की जांच परिवार कल्याण समितियों को सौंप दी थी। इनकी रिपोर्ट से पहले पति और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन जजों की बैंच ने अब इस फैसले में बदलाव कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दहेज पीड़िता की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। अदालतें किसी से प्रभावित नहीं होती।

(दै.भा., 15.09.18)

दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं को मुआवजा

बालिकाओं या महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म के मामलों पर अब पीड़िता को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार स्कीम को दो अक्टूबर से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में भी इसे लागू करने पर मंथन शुरू हो गया है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कई राज्यों में पॉक्सो कानून के दायरे में आने वाले बच्चों को मुआवजे का प्रावधान नहीं है, इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा-निर्देश दिया है। *(रा.प., 23.09.18)*

निःशुल्क बंटेंगे सेनेटरी नेपकिन

प्रदेश में करीब एक करोड़ 43 लाख ग्रामीण महिलाओं को वितरित किए जाने वाले सेनेटरी नेपकिन अब निःशुल्क बांटे जाएंगे। प्रदेश के इसी साल के बजट में घोषित इस योजना को पहले निःशुल्क के बजाय सःशुल्क कर दिया गया था।

अब नई व्यवस्था के तहत प्रति माह एक पैकेट यानी 6 नेपकिन निःशुल्क दिए जाएंगे। मानना है कि प्रदेश में करीब 70 फीसदी ग्रामीण महिलाएं सेनेटरी नेपकिन का हर महीने खर्च उठाने में सक्षम नहीं है।

सेनेटरी नेपकिन का उपयोग नहीं करने से महिलाओं में संक्रमण का खतरा रहता है। योजना के तहत नेपकिन का वितरण स्कूल, कॉलेज, आंगनबाडी केंद्र, उप-स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है।

(रा.प., 31.08.18)

सड़क सुरक्षा

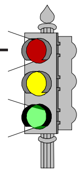

घायलों के मददगार कहलाएंगे 'सदनागरिक'

दुर्घटना के शिकार घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोग 'सदनागरिक' कहलाएंगे। उन्हें यह नाम सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। आमजन कोर्ट व पुलिस के चक्कर में फसने के डर से घायलों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। घायल व्यक्ति के समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण बड़ी तादाद में हो रही मौतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार 3 साल पहले गाइडलाइन जारी कर चुकी है। इसके तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले 'सदनागरिकों' से न पुलिस पूछताछ कर सकती है और न ही अस्पताल उनसे एडमीशन फीस देने का दबाव बना सकते हैं। उनसे किसी भी तरह की पूछताछ या दबाव सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। कोई भी अस्पताल घायल के इलाज के लिए मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च 2016 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सदनागरिकों के संरक्षण हेतु जारी गाइडलाइन पर अपनी मुहर लगाई है। *(रा.प., 28.08.18)*

> ***सड़कों पर हर साल करीब 10,000 की मौत***
>
> *प्रदेश की सड़कों पर हर साल हादसों में करीब 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। जयपुर जिले में यह संख्या करीब 388 है और देशभर में 1.40 लाख से भी अधिक है। घायलों की जान बचाने के लिए प्रयासरत स्वयंसेवी संगठनों और चिकित्सकों के अनुसार आमजन यानी 'सदनागरिक' घायलों को अस्पताल पंहुचाने के लिए आगे आएं तो मौत का यह आंकड़ा बहुत कम किया जा सकता है।*

जन स्वास्थ्य

लागू हुआ आयुष्मान भारत: गरीबों का हो सकेगा मुफ्त इलाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी हैल्थ स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य-आयुष्मान भारत योजना लागू की है। इस योजना से देश के गैर भाजपा शासित पांच राज्यों (दिल्ली, ओडिसा, केरल, तेलंगाना और पंजाब) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के 10.74 करोड़ गरीब परिवारों के करीब 50 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।

योजना के तहत कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी और लीवर की बीमारी तथा डायबिटीज समेत 1300 बीमारियों का अस्पताल में पांच लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस होगा। इसमें परिवार के सदस्यों और उम्र का कोई बंधन नहीं है। इसके लिए देश के 13,000 सरकारी और निजी अस्पतालों में 2.65 लाख बेड की सुविधा उपलब्ध होगी।

मोदी ने आयुष्मान भारत के संकल्प से स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में नहीं चल रही है। इसमें 2011 की जनगणना में गरीब घोषित किए गए हों वे ही परिवार लाभ लेने के पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने योजना संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14555 भी जारी की है। *(रा.प. एवं दै.भा., 24.09.18)*

पर्यावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नेतृत्व और 2022 तक भारत को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से मुक्त कराने के संकल्प के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पांच अन्य व्यक्तियों और संगठनों को भी दिया गया है। दुनिया के छह सबसे उत्कृष्ट पर्यावरण परिवर्तकों को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 'चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक 'इस साल के पुरस्कार विजेताओं को आज के समय के कुछ बेहद अत्यावश्यक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए साहसी, नवोन्मेष और अथक प्रयास करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है।' नीतिगत नेतृत्व की श्रेणी में फ्रेंच राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों और मोदी को संयुक्त रूप से चुना गया है। *(न.नु., 28.09.18)*

वित्तीय सेवाएं

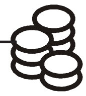

गांव और गरीब के दरवाजे तक बैंक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत करते हुए कहा कि इसके जरिए हम बैंक को गांव और गरीब के दरवाजे तक पहुंचाने का काम शुरू कर रहे हैं। इससे देश के अर्थतंत्र व सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।

उन्होंने कहा कि देशभर के 650 जिलों में इंडिया पोस्ट पेमेंट की शाखाएं शुरू हो रही है तथा इस साल के अंत तक सभी एक करोड़ 55 लाख डाकघरों को पेमेंट बैंक से जोड़ दिया जाएगा, इसमें पूरी हिस्सेदारी सरकार की होगी। देशभर में एक करोड़ तीन लाख डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इससे दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक डाक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा, जिनसे ऋण सुविधा को छोड़कर सब सुविधाएं मिल सकेंगी। *(दै.भा., 02.09.18)*

जारी रहेगी जन-धन योजना

विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना को दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन योजना बताया है। इसके तहत पिछले चार सालों में 32 करोड़ 41 लाख खाते खुले हैं। इस योजना को प्रति परिवार की बजाय प्रति वयस्क व्यक्ति तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

यह जानकारी वित्तमंत्री अरुण जेटली ने देते हुए बताया कि इसके साथ ही जन-धन खाते में मिलने वाला ओवर ड्राफ्ट (ओडी) और बीमा राशि को भी दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जन-धन खातों पर ओडी की सीमा 5000 ही रहेगी। नए खुलने वाले खातों पर यह सीमा 10 हजार रुपए रखने का निर्णय लिया गया है। *(दै.न., 06.09.18)*

उपभोक्ता फैसले

ऐक्सिस बैंक को भारी पड़ा लोन के दस्तावेज नहीं लौटाना

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में राजेश गुप्ता ने ऐक्सिस बैंक लिमिटेड की फरीदाबाद शाखा के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में आयोग को बताया गया कि उन्होंने एक्सिस बैंक के पास बिल्डर से किया गया समझौता, रसीद और संपत्ति का मूल आवंटन पत्र रख कर 67 लाख रुपए से अधिक का कर्ज लिया था। उन्होंने बैंक को लिया गया सम्पूर्ण कर्ज मय ब्याज के चुका दिया। इसके बावजूद बैंक द्वारा रखे गए दस्तावेज उन्हें वापस नहीं लौटाए गए।

मामले की सुनवाई पर बैंक ने दावा किया कि कुछ दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें लौटा दिया गया है। शेष कुछ दस्तावेज खो गए हैं और बैंक उन कागजातों को लौटाने में सक्षम नहीं है। उपभोक्ता आयोग ने इसे ग्राहक के प्रति दायित्वों को निभाने में विफलता एवं गंभीर सेवा दोष माना।

उपभोक्ता आयोग ने ऐक्सिस बैंक को आदेश दिया कि वह राजेश गुप्ता को 50 लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति, मानसिक उत्पीड़न के बदले 50 हजार रुपए और मुकदमे खर्च के 15 हजार रुपए का भुगतान करे। आयोग ने बैंक से यह भी कहा कि वह सभी दस्तावेजों के संबंध में गुप्ता के पक्ष में क्षतिपूर्ति बांड जारी करे। इस राशि का भुगतान चार सप्ताह के भीतर किया जाए। ऐसा करने में विफल रहने पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। *(न.नु., 12.09.18)*

पीएचईडी पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना

जिला उपभोक्ता मंच जयपुर-प्रथम ने मनमाने तरीके से और सुनवाई का मौका दिए बिना ही 22 परिवादियों को घरेलू की जगह अघरेलू पानी का बिल जारी करने पर पीएचईडी दूदू पर कुल एक लाख दस हजार रुपए हर्जाना लगाया है।

मामले के अनुसार कृष्ण कुमार व अन्य 21 लोगों ने जिला उपभोक्ता मंच जयपुर-प्रथम में पीएचईडी दूदू के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया पीएचईडी दूदू ने फरवरी 2014 में उन्हें बढ़ा बिल जारी किया और दिसंबर से 52 रुपए की जगह 311 रुपए का बिल जारी कर दिया।

मामले की सुनवाई पर पीएचईडी दूदू की ओर से कहा गया कि परिवादियों ने अपने घर में दुकान बना रखी थी। इसके जवाब में परिवादी ने कहा कि उन्हें सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। पीएचईडी विभाग की जून 2016 की एक नोटिफिकेशन है जिसमें 200 वर्गफुट तक की दुकान को घरेलू श्रेणी में माना है।

उपभोक्ता मंच ने सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद पीएचईडी दूदू को आदेश दिया कि वह परिवाद दायर करने की तारीख से प्रार्थियों के रिहायशी मकान में लगे पानी के कनेक्शन को घरेलू मानकर पानी का बिल जारी करें। साथ ही प्रत्येक परिवादी को पांच हजार रुपए हर्जाना राशि एक महीने के भीतर अदा करें। *(दै.भा., 18.08.18)*

खास समाचार

अचल संपत्ति के सभी दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य

सरकार ने सभी अचल संपत्तियों के सभी दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सरकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन के लिए अध्यादेश ला रही है। कैबिनेट ने सर्कुलेशन से अध्यादेश के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है।

सरकार का मानना है कि इस संशोधन से पंजीयन की व्यवस्था सरल होगी और विवाद भी कम होंगे। अचल संपत्ति के कई दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य नहीं होने से कई बार लोगों के बीच विवाद की स्थिति बनती है।

ऐसे में पक्षकारों के दायित्व व अधिकार की जिम्मेदारी के लिए उनके पास सही दस्तावेज होना चाहिए। इसी उद्देश्य से अध्यादेश के जरिए अचल संपत्तियों के दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य किया है। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दस्तावेज पंजीकरण के लिए मूल स्वामी का जीवित होना जरूरी किया गया है। साथ ही विधि विरुद्ध दस्तावेज का पंजीयन करने से उप पंजीयक को इनकार करने की शक्ति भी दी गई है। *(रा.प., 08.08.18)*

सरकार बना सकेगी नियम

अभी तक पंजीयन संबंधी नियमों के लिए महानिरीक्षक पंजीयन अधिकृत थे, लेकिन अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि सरकार भी इसके लिए जरूरी नियम समय-समय पर बना सकेगी। इसके लिए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन किया है। ई-पंजीयन व्यवस्था में अब पंजीयन के लिए दस्तावेज की ऑनलाइन प्रस्तुति होगी। साथ ही पंजीयन की कार्यवाही इलेक्ट्रोनिक होने के प्रावधान किए जाएंगे।

महता थिंक टैंक सदस्य के रूप में नामित

जयपुर स्थित 'कट्स' इन्टरनेशनल के संस्थापक महामंत्री प्रदीप एस. महता को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 'ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के तंत्र' को अंतिम रूप देने के लिए थिंक टैंक (प्रबुद्ध मंडल) के सदस्य के रूप में नामित किया है।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, डे.न्यू.: डेलीन्यूज

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।